#2024/19

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

मनीषा बनाम सरकार

प्रकरण संख्या :– /2023 20/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
	05/02/2024	पत्रावली तहसीलदार आमेर के पत्रांक मु.अ./2024/06 दि. 09/01/2024 द्वारा प्रशासन गांवों के संग का प्राप्त हुआ/प्राप्त पत्र दर्ज रजिस्टर होवे। नोटिस जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी के दि. 13/02/2024 को पेश होवे। उप खण्ड अधिकारी आमेर जयपुर	(नारायण सिंह) [illegible]
	13/02/2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रा. पत्र. तहसीलदार आमेर एवं उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर स्वीकार किया जाकर आदेश सुनाया गया। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा गया। पत्रावली कैफियत हुक्म तामील होकर [illegible] में दर्ज हो। उप खण्ड अधिकारी आमेर जयपुर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर

प्रकरण संख्या :–20 / 2024
सीसीएमएस नं0 :– 2024 / 19
उनवान :– भागीरथ बनाम सरकार

::– आदेश –::

दिनांकः 13.02.2024

तहसीलदार, तहसील आमेर के पत्रांक भू.अ. / 2024 / 86 दिनांक 09.01.2024 द्वारा प्रशासन गॉवों के संग अभियान में प्रकरण प्राप्त हुआ। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया। उभयपक्ष को तलब किया गया। नायब तहसीलदार, तहसील आमेर पैरोकार सरकार उपस्थित हुये। पक्षकारान को सुना गया। उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

अतः प्रा0पत्र के सलग्न दस्तावेजात का अध्ययन किया, उभयपक्ष की बहस का मनन किया एवं तहसीलदार, तहसील आमेर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर ग्राम मानपुरा माचेडी की वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 407, 410 में सभी खातेदारान की जाति दरोगा दर्ज है। श्रीमान शासन उपसचिव महोदय के आदेश क्रमांक प.3(2) राज–6 / 2021 दिनांक 19.04.2023 की पालना में खातेदार की जाति दरोगा के स्थान पर रावणा राजपूत शुद्धि का इन्द्राज किया जाना स्वीकृत किया जाता है। आदेश सुनाया गया। तहसीलदार, तहसील आमेर पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
आमेर जिला जयपुर